रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 123] नई दिल्ली, सोमवार, मई 8, 2017/वैशाख 18, 1939
No. 123] NEW DELHI, MONDAY, MAY 8, 2017/VAISAKHA 18, 1939

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

संकल्प

नई दिल्ली, 05 मई, 2017

सं. 2015/इंफ्रा/12/15.—सरकार ने मंत्रिमंडल के अनुमोदन से 5 अप्रैल, 2017 को रेल विकास प्राधिकरण ("आरडीए") गठित करने का विनिश्चय किया है। रेल विकास प्राधिकरण का स्वरूप तथा पैरा/कार्य निम्नानुसार होंगे:-

1. "रेल विकास प्राधिकरण" ऐसे कार्य-कलापों, जिन्हें वर्तमान आदेश में दिया जा रहा है, का निष्पादन प्रचलित विधायी फ्रेमवर्क और/अथवा किसी कानून के अंतर्गत सांविधिक प्राधिकार अथवा विषयगत मामले के अन्तर्गत फ्रेम किए गए नियमों अथवा विनियमों का अतिक्रमण किए बिना करेगा।

2. रेल विनियामक स्थापित करने का उद्देश्य

एक स्वतंत्र रेल विनियामक निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता करेगा:

(i) लागत के अनुरूप सेवाओं की कीमत का निर्धारण करना।

(ii) गैर-किराया राजस्व को बढ़ाने के उपायों का सुझाव देना।

(iii) सेवा की गुणवत्ता और इष्टतम लागत को सुनिश्चित करके उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना।

(iv) प्रतिस्पर्धा, कुशलता और मितव्ययिता को बढ़ावा देना।

(v) बाजार के विकास और स्टेकहोल्डरों तथा ग्राहकों के लिए उचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए रेल सेक्टर में स्टेकहोल्डरों की भागीदारी को बढ़ावा देना।

(vi) निवेश के लिए सकारात्मक माहौल बनाना।

(vii) इस सेक्टर में संसाधनों के कुशल आबंटन को बढ़ावा देना।

(viii) अन्तरराष्ट्रीय मानदण्डों के अनुरूप सेवा के मानकों की बेंचमार्किंग करना और उनके द्वारा मुहैया की गई सेवाओं की गुणवत्ता, निरन्तरता और विश्वसनीयता को निर्धारित करना और उसे लागू करना।

(ix) डेडिकेटिड फ्रेट कोरिडोर (डीएफसी) अवसंरचना और भविष्य में अन्य अवसंरचना के लिए बिना भेदभाव की खुली अभिगम्यता के लिए फ्रेमवर्क मुहैया कराना।

(x) अपेक्षित कुशलता और निष्पादन मानक प्राप्त करने के लिए नई प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए उपाय सुझाना।

(xi) अपने किसी निर्दिष्ट उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु मानव संसाधन विकास के लिए उपाय सुझाना।

3. **"रेल विकास प्राधिकरण" की संरचना:** इसमें एक अध्यक्ष होगा जो रेल विकास प्राधिकरण की संपूर्ण कार्य-व्यवस्था के लिए जिम्मेदार होगा तथा तीन सदस्य होंगे। सदस्य (टैरिफ), टैरिफ निर्धारण तथा रेलपथ अभिगम्यता प्रभार से संबंधित कार्य के लिए उत्तरदायी होगा। सदस्य (पीपीपी), रियायत करारों के साथ-साथ स्टेकहोल्डरों के निवेश संबंधी सभी मुद्दों का निपटान करने के लिए उत्तरदायी होगा तथा सदस्य (कुशलता, मानक एवं बेंचमार्क), कुशलता, निष्पादन मानक, बेंचमार्क निर्धारित करने एवं सूचना के प्रसार से संबंधित सभी मामलों के लिए उत्तरदायी होगा।

4. **अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति-** अध्यक्ष तथा तीनों सदस्यों की नियुक्ति केन्द्र सरकार द्वारा खोज एवं चयन समिति द्वारा संस्तुत नामों के पैनल में से की जाएगी। खोज एवं चयन समिति में अध्यक्ष के रूप में मंत्रीमण्डल सचिव, अध्यक्ष रेलवे बोर्ड एवं सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, मंत्रीमण्डल सचिव द्वारा नामित केन्द्र सरकार के किसी विनियामक निकाय का अध्यक्ष शामिल होंगे। अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति और सेवा से संबंधित शर्तें आदि **अनुलग्नक** में दी गई हैं।

5. **रेल विकास प्राधिकरण के कार्य:** रेल विकास प्राधिकरण निम्नलिखित कार्य करेगा:

(i) **टैरिफ निर्धारण करने का कार्य-** रेल विकास प्राधिकरण, इस संबंध में केन्द्र सरकार को सहायता देने और उसके कार्यों के निष्पादन को सरल बनाने के लिए निम्नलिखित कार्यों को निष्पादित करेगा:

1. फ्रेट तथा पैसेंजर दोनों सेगमेंटों के लिए टैरिफ के निर्धारण के लिए मार्गदर्शक सिद्धांतों/नियमों/मॉडलों को तैयार करना।
2. टैरिफ निर्धारित करने के संबंध में सिफारिश करना, जिसमें प्रस्तावित टैरिफ और टैरिफ में संशोधन का सुझाव देना शामिल है।
3. वस्तुओं के वर्गीकरण और पुनर्वर्गीकरण का निर्धारण करने के लिए सिद्धांतों को बनाना।
4. बजटीय सहायता अथवा अन्य विधियों के रूप में सब्सिडी/सामाजिक सेवा के दायित्वों के सिद्धांतों को बनाना।
5. डेडीकेटिड फ्रेट कोरिडोर नेटवर्क और भविष्य में अन्य नेटवर्कों के बिना भेदभाव के अभिगम्यता मुहैया कराने के लिए ट्रैक अभिगम्यता प्रभार का निर्धारण करने के लिए मार्गनिर्देशों/नियमों का निर्धारण करना।
6. कोई अन्य कार्य जो ऊपर उल्लिखित कार्यों से सम्बद्ध हो या उनके परिणामत: किए जाने हों अथवा ऊपर (1) से (5) के संबंध में ऐसे अन्य कार्य, जो केन्द्र सरकार द्वारा विशिष्ट तौर पर सौंपे जाएं।

(ii) **रेलवे में स्टेकहोल्डर के निवेश के लिए उचित तथा समान अवसर सुनिश्चित करना -** रेल विकास प्राधिकरण समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कार्यों को निष्पादित करेगा:

1. संशोधन का प्रस्ताव करना तथा रेल मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत संदर्भ पर रेल मंत्रालय को सुझाव/परामर्शी नोट भेजना।
2. निजी निवेशों/पीपीपी के माध्यम से अवसंरचना सृजन के लिए रेल मंत्रालय की नीतियों के संबंध में सुझाव देना और पीपीपी निवेशकों की समुचित सुरक्षा सुनिश्चित करना।
3. भावी रियायत करारों के बारे में विवादों का समाधान करना बशर्ते कि मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम, 2015 के साथ-साथ मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम, 1996 और उसके संशोधनों के अनुपालन में ऐसे विवादों को रेल विकास प्राधिकरण को भेजने के लिए रियायत करार में कोई विशिष्ट खण्ड हो।
4. कोई अन्य कार्य जो ऊपर उल्लिखित कार्यों से सम्बद्ध हों या उनके परिणामत: किए जाने हों अथवा ऊपर (1) से (3) के संबंध में ऐसे अन्य कार्य, जो केन्द्र सरकार द्वारा विशिष्ट तौर पर सौंपे जाएं।

(iii) **कुशलता और कार्य-निष्पादन के मानक निर्धारित करना-** रेल विकास प्राधिकरण कार्य-निष्पादन और कुशलता के मानकों को निर्धारित कर सकता है। रेलवे अधिनियम के अन्तर्गत ऐसे मानकों को नियमों के रूप में अधिसूचित किया जाएगा ताकि इन्हें स्वीकार करने की बाध्यता हो। इस बारे में रेल विकास प्राधिकरण, यात्री तथा फ्रेट दोनों में ग्राहकों की संतुष्टि लिए कुशलता और कार्य-निष्पादन के लिए मानकों को निर्धारित करेगा। रेल विकास प्राधिकरण को इसमें किसी प्रकार की भिन्नता की जांच करने और उपचारात्मक उपाय करने का सुझाव देने के लिए प्राधिकृत किया जाएगा। रेल विकास प्राधिकरण कोई ऐसे अन्य कार्य भी करेगा जो ऊपर उल्लिखित कार्य से सम्बद्ध हों या उनके परिणामत: किया जाना हों, अथवा जिसे केन्द्र सरकार द्वारा विशिष्ट तौर पर सौंपा गया हो। इस प्राधिकरण को यह भी अधिकार होगा कि वह वांछित कुशलता तथा कार्य-निष्पादन के मानकों को हासिल करने के लिए नई प्रौद्योगिकी को अपनाने का सुझाव प्रदान करे।

(iv) **सूचना का प्रसार-** यह प्राधिकरण, उपभोक्ताओं की सहायता करने और उन्हें जागरूक बनाने के लिए सर्वोत्तम कार्य-व्यवहार के संबंध में सूचना का प्रसार करने के लिए फ्रेमवर्क/मार्गनिर्देशोंका सुझाव देगा। इस संबंध में यह प्राधिकरण निम्नलिखित कार्य करेगा:

1. यह डाटा संग्रहक के रूप में कार्य करेगा। यह रेल मंत्रालय और अन्य ऑपरेटरों से डाटा एकत्रित करेगा और समय-समय पर उसे स्वेच्छा से प्रसारित करेगा।
2. यह विश्व में सर्वोत्तम कार्य-व्यवहारों, बेंचमार्किंग तथा मानकों के बारे में सूचना का प्रसार करेगा ताकि उपभोक्ताओं की जागरूकता बढ़े।
3. विश्व मानकों, विश्व के सर्वोत्तम कार्य-व्यवहार तथा बेंचमार्किंग पर आधारित सूचना का प्रसार करने की प्रक्रिया अथवा पद्धति की सिफारिश करेगा।
4. रियायतियों/रेल ऑपरेटरों सहित सभी अन्य स्टेकहोल्डरों से उनकी परियोजनाओं के संबंध में सूचना एकत्रित करेगा और उसे आम जनता के साथ शेयर करेगा।
5. कोई अन्य कार्य जो ऊपर उल्लिखित कार्यों से सम्बद्ध हों या उनके परिणामत: किए जाने हों अथवा ऊपर (1) से (4) के संबंध में ऐसे अन्य कार्य, जो केन्द्र सरकार द्वारा विशिष्ट तौर पर सौंपा गया हो।

(v) रेल विकास प्राधिकरण को ऊपर (i) से (iv) में उल्लिखित कार्यों का निष्पादन करते समय निम्नलिखित विशिष्ट कार्य करने का अधिकार नहीं होगा:-

1. रेलवे के बारे में एक सेक्टर अथवा इसके किसी पहलू के संबंध में नीति बनाना;
2. खण्ड (4), उप खण्ड (i) (1) से (3) के प्रावधानों को छोड़कर टैरिफ का निर्धारण करना और वस्तुओं का वर्गीकरण/पुनर्वर्गीकरण करना;

3. रेल प्रणाली का परिचालन और अनुरक्षण;
4. ऐसे बेंचमार्कों के बारे में सुझाव देना जो निर्णय लेने में मार्गदर्शक हो सकता, को छोड़कर वित्तीय/व्यय प्रबन्धन;
5. तकनीकी मानक निर्धारित करना;
6. संरक्षा मानकों तथा कार्य-व्यवहारों का पालन करना;
7. ऐसे कार्य, जो तत्समय लागू किसी विधान के अंतर्गत सांविधिक रूप से दिया गया हो।

(vi) प्राधिकरण अपने निर्दिष्ट उद्देश्यों और कार्यों को पूरा करने हेतु मानव संसाधन विकास के लिए उपाय का सुझाव दे सकता है।

6. **रेल विकास प्राधिकरण का वित्तपोषण:** रेल मंत्रालय अपने बजट में से 50,00,00,000 (पचास करोड़ रुपए) भारतीय रुपए की प्रारंभिक संग्रह राशि का अंशदान करेगा ताकि रेल विकास प्राधिकरण कार्य शुरू कर सके। रेल विकास प्राधिकरण आवेदन शुल्क, आर्बिटरेशन शुल्क, जुर्माना आदि के रूप में अधिनिर्णय शुल्क के माध्यम से धन जुटा सकता है (जिसे भारत की समेकित निधि में जमा किया जाएगा), जैसा भी रेल विकास प्राधिकरण द्वारा प्रारूपित विनियमों में व्यवस्था की जाएगी। बाद में रेल विकास प्राधिकरण वित्तीय स्वतंत्रता सुनिश्चित करते हुए अपना कार्य संचालित कर सके इसके लिए रेलवे के बजट में से वार्षिक अनुदान निर्धारित किया जाएगा।

7. रेल विकास प्राधिकरण के पास अपने कार्यों का प्रभावी ढंग से निष्पादन करने के लिए पर्याप्त अधिकार होंगे। इस प्रयोजन के लिए रेल विकास प्राधिकरण अपने लिए उपयुक्त सहायक कर्मचारियों, सरकारी पदाधिकारियों तथा विशेषज्ञों की व्यवस्था करेगा और उसके पास अपने सरकारी कार्यों के संबंध में सरकारी और गैर-सरकारी निकायों से रिकॉर्ड, नोट, डाटा अथवा कोई अन्य संगत सामग्री मंगवाने और उनके साथ विचार-विमर्श करने की भी शक्तियां होंगी।

8. रेल विकास प्राधिकरण का मुख्यालय दिल्ली में होगा और यह रेल विकास प्राधिकरण के लिए निर्धारित कार्यों से संबंधित विभिन्न पहलुओं तथा ऐसे अन्य विशिष्ट मामलों, जिनके बारे में समय-समय पर केन्द्र सरकार द्वारा मांग की जाए, के संबंध में केन्द्र सरकार को समय-समय पर रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

9. **प्रशासनिक तथा अन्य आनुषंगिक मामले:-**

(i) रेल विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष तथा सदस्यों की सेवा शर्तों से संबंधित ऐसे प्रशासनिक मामलों, जिसके संबंध में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं किया गया है, में निर्णय लेने के लिए प्रत्येक मामले को केन्द्र सरकार को भेजा जाएगा और उस पर केन्द्र सरकार का निर्णय रेल विकास प्राधिकरण पर बाध्यकारी होगा।

(ii) रेल विकास प्राधिकरण के परिचालन से संबंधित प्रशासनिक मामलों और रेल विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष तथा सदस्यों के अलावा अधिकारियों तथा कर्मचारियों की नियुक्ति, जिनके संबंध में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं किया गया है, के संबंध में अध्यक्ष और सदस्यों की आम सहमति से निर्णय किया जाएगा।

आर. के. वर्मा, सचिव (रेलवे बोर्ड)

अनुलग्नक

<u>अंतरिम रेल विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति की निबंधन एवं शर्तें:</u>

(क) अध्यक्ष की अर्हताएं

(i) रेल विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष एक ऐसा व्यक्ति होगा जिसकी योग्यता तथा सत्यनिष्ठा सिद्ध हो और जिसके पास रेल उद्योग अथवा वित्त अथवा लेखांकन अथवा विधि अथवा विनियामक मामलों की विशेष जानकारी और कम से कम 25 वर्ष का व्यावसायिक अनुभव हो।

(ii) ऐसे उम्मीदवार जो सरकारी सेवा में हैं/रहे हैं, को भारत सरकार में सचिव के पद पर अथवा केन्द्र सरकार/राज्य सरकार में इसके समकक्ष पद पर होना चाहिए/रहा होना चाहिए और उनके पास संगत अनुभव होना चाहिए।

(iii) अध्यक्ष को बासठ (62) वर्ष से कम आयु का होना चाहिए।

(ख) सदस्यों की अर्हताएं

(क) सदस्य (टैरिफ)

(i) रेल विकास प्राधिकरण का सदस्य (टैरिफ) एक ऐसा व्यक्ति होगा जिसकी योग्यता तथा सत्यनिष्ठा सिद्ध हो और जिसके पास रेल उद्योग अथवा वित्त अथवा लेखांकन अथवा विधि अथवा विनियामक मामलों की विशेष जानकारी और कम-से-कम 25 वर्ष का व्यावसायिक अनुभव हो।

(ii) ऐसे उम्मीदवार जो सरकारी सेवा में हैं/रहे हैं, को भारत सरकार में सचिव/अपर सचिव के पद पर अथवा केन्द्र सरकार/राज्य सरकार में इसके समकक्ष पद पर होना चाहिए/रहा होना चाहिए और उसके पास संगत अनुभव होना चाहिए। रेल सेक्टर में फ्रेट और पैसेंजर टैरिफ के निर्धारण/रेटिंग/लागत निर्धारण के अनुभव को तरजीह दी जाएगी।

(iii) सदस्य (टैरिफ) को साठ (60) वर्ष से कम आयु का होना चाहिए।

(ख) सदस्य (पीपीपी)

(i) रेल विकास प्राधिकरण का सदस्य (पीपीपी) एक ऐसा व्यक्ति होगा जिसकी योग्यता तथा सत्यनिष्ठा सिद्ध हो और जिसके पास रेलवे अथवा उद्योग अथवा वित्त अथवा लेखांकन अथवा विधि अथवा विनियामक मामलों की विशेष जानकारी और कम से कम 25 वर्ष का व्यावसायिक अनुभव हो।

(ii) ऐसे उम्मीदवार जो सरकारी सेवा में हैं/रहे हैं, को भारत सरकार में सचिव/अपर सचिव के पद पर अथवा केन्द्र सरकार/राज्य सरकार में इसके समकक्ष पद पर होना चाहिए/रहा होना चाहिए और उसके पास संगत अनुभव होना चाहिए, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मुद्दों को निपटाने के अनुभव को तरजीह दी जाएगी।

(iii) सदस्य (पीपीपी) को साठ (60) वर्ष से कम आयु का होना चाहिए।

(ग) सदस्य (कुशलता, मानक एवं बेंचमार्किंग)

(i) रेल विकास प्राधिकरण का सदस्य (कुशलता, मानक एवं बेंचमार्किंग) एक ऐसा व्यक्ति होगा जिसकी योग्यता तथा सत्यनिष्ठा सिद्ध हो और जिसके पास रेल उद्योग अथवा वित्त अथवा लेखांकन अथवा विधि अथवा विनियामक मामलों की विशेष जानकारी और कम से कम 25 वर्ष का अनुभव हो।

(ii) ऐसे उम्मीदवार जो सरकारी सेवा में हैं/रहे हैं, को भारत सरकार में सचिव/अपर सचिव के पद पर अथवा केन्द्र सरकार/राज्य सरकार में इसके समकक्ष पद पर होना चाहिए/रहा होना चाहिए और उसके पास संगत अनुभव होना चाहिए, परिवहन के क्षेत्र के अनुभव को तरजीह दी जाएगी।

(iii) सदस्य (कुशलता, मानक एवं बेंचमार्किंग) को साठ (60) वर्ष से कम आयु का होना चाहिए।

(ग) अध्यक्ष और सदस्यों के पद की अवधि तथा हटाया जाना:

अध्यक्ष तथा सदस्यों का कार्यकाल पांच (5) वर्ष का होगा।

केन्द्र सरकार द्वारा निम्नलिखित आधार पर अध्यक्ष/सदस्यों को हटाया जा सकता है:

i. यदि उसे दिवालिया घोषित कर दिया जाता है, अथवा

ii. अदालत द्वारा उसे किसी ऐसे अपराध में दोष सिद्ध पाया जाए जिसमें नैतिक कदाचार शामिल हो, अथवा

iii. वह सदस्य अथवा अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए शारीरिक तथा मानसिक तौर पर असक्षम हो गया हो, अथवा

iv. उसने इस प्रकार से वित्तीय अथवा अन्य हित प्राप्त कर लिया हो जिसमें सदस्य/अध्यक्ष के रूप में उसका कार्य करना प्रतिकूल रूप से प्रभाव डालता हो, अथवा

v. उसने अपनी स्थिति का गलत फायदा उठाया हो जिसमें उसका पद पर बना रहना जनहित के विरूद्ध हो, अथवा

vi. सिद्ध दुर्व्यवहार का दोषी हो, अथवा

vii. वह किसी ऐसे रोजगार में लगा हो, जिसमें उसे भुगतान प्राप्त होता है।

(घ) पुनर्नियोजन के लिए पात्रता

अध्यक्ष अथवा सदस्य अपना पद त्यागने के बाद एक वर्ष का अन्तराल होने तक केन्द्र सरकार अथवा किसी ऐसे निकाय/प्राधिकरण में पुनर्नियोजन के लिए पात्र नहीं होंगे, जिसे केन्द्र सरकार द्वारा काफी वित्त पोषित किया जाता हो। इसी प्रकार, पद त्यागने के बाद एक वर्ष के लिए अध्यक्ष, अथवा सदस्य किसी ऐसे संगठन/कोन्ग्लोमेरेट्स/एसोसिएट्स में प्राइवेट रोजगार लेने के लिए पात्र नहीं होंगे जो रेल विकास प्राधिकरण के परिचालनिक क्षेत्राधिकार में आता हो। इसके अलावा, अध्यक्ष अथवा सदस्य विनियमित संगठनों के साथ अपने सारे संबंधों को तोड़ देंगे और वे विनियमित संगठनों में अपने निकट परिवार के सदस्यों जैसे कि पत्नी/पति, आश्रित बच्चों अथवा माता-पिता के रोजगार और शेयरहोल्डिंग के ब्यौरे की भी घोषणा करेंगे।

(ड.) वेतन, भत्ते, यात्रा, आवास, छुट्टी और मैडीकल सुविधाएं

अध्यक्ष तथा सदस्य, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, सीसीआई आदि जैसे इसी प्रकार के अन्य विनियामक निकायों के लिए भारत सरकार की मौजूदा अधिसूचनाओं के अनुसार वेतन, परिलब्धियां, भत्ते, यात्रा, छुट्टी, मैडीकल सुविधाओं के लिए पात्र होंगे।

(च) प्रशासनिक तथा अन्य अवशिष्ट मामले

रेल विकास प्राधिकरण के परिचालन से संबंधित प्रशासनिक मामलों अथवा अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा की शर्तों, जिनके बारे में इन अनुदेशों में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं किया गया है, के बारे में निर्णय लेने के

लिए ऐसे प्रत्येक मामले को केन्द्र सरकार के पास भेजा जाएगा और उन पर केन्द्र सरकार का निर्णय रेल विकास प्राधिकरण के लिए बाध्यकारी होगा।

MINISTRY OF RAILWAYS

(RAILWAY BOARD)

RESOLUTION

New Delhi, the 5th May, 2017

No. 2015/Infra/12/15 Pt.1.—The Government have, with the approval of Cabinet, decided on 5th April 2017 to constitute a Rail Development Authority ("RDA"). The composition and the paras/functions of the RDA shall be as follows:-

1. "RDA" would perform such functions as is being provided in the Order without impinging upon the prevalent legislative framework and/or statutory authority of any entity arising under any of the Statute, or rules and regulations framed there under holding the subject-matter.

2. Objectives of setting a Rail Regulator:

An independent Rail Regulator will help to achieve the following objectives:

(i) Pricing of services commensurate with costs.

(ii)Suggest measures for enhancement of Non Fare Revenue.

(iii) Protection of consumer interests, by ensuring quality of service and cost optimization.

(iv) Promoting competition, efficiency and economy.

(v)Encouraging market development and participation of stakeholders in the rail sector and for ensuring a fair deal to the stakeholders and customers.

(vi) Creating positive environment for investment.

(vii) Promoting efficient allocation of resources in the sector.

(viii) Benchmarking of service standards against international norms and specify and enforce standards with respect to the quality, continuity and reliability of services provided by them.

(ix) Providing framework for non-discriminatory open access to the Dedicated Freight Corridor (DFC) infrastructure and others in future.

(x) Suggesting measures to absorb new technologies for achieving desired efficiency and performance standards

(xi) Suggesting measures for human resource development to achieve any of its stated objectives

3. Composition of "RDA": It shall consist of a Chairman who shall be responsible for overall functioning of RDA and three Members. Member (Tariff) shall be responsible for function pertaining tariff determination and track access charges. Member (PPP) shall be responsible for dealing with all issues of stakeholders investments including concession agreement and Member (Efficiency, Standards & Benchmarking) shall be responsible for dealing with all issues of setting efficiency, performance standards, benchmarking and information dissemination.

4. **Appointment of Chairman and Members** - The appointment of the Chairman and three Members will be done by the Central Government from the panel of names recommended by the Search and Selection Committee. The Search and Selection Committee shall comprise of Cabinet Secretary as Chairman, Chairman Railway Board, Secretary, DoPT and Chairman of any Regulatory Body of Central Government nominated by the Cabinet Secretary. The terms and conditions etc., with regard to appointment and service conditions of Chairman and the Members is **Annexed .**

5. **Functions of RDA:** RDA will undertake the following functions:

(i) **Tariff determination functions** - RDA, with a view to assist and facilitate the Central Government in this regard, shall perform the following functions:

1. Framing guiding principles/ rules/ models for tariff determination for both freight and passenger segments;
2. Make recommendations on tariff setting including suggesting proposed tariff and revision of tariff;
3. Framing principles for determining classification and reclassification of commodities;
4. Framing principles for subsidy/social service obligations in form of budgetary support or other methods;
5. Lay down guidelines/rules to determine track access charge for providing non-discriminatory access to Dedicated Freight Corridor network and others in future; and
6. Any other function which is incidental or consequential to the abovementioned functions or such other functions regarding (1) to (5) above as specifically assigned by Central Government.

(ii) **Ensuring fair play and level playing field for stakeholder investment in Railways:** RDA shall perform the following functions to ensure level playing field:

1. Propose modifications and send suggestions / Advisory Notes to Ministry of Railways on reference made by Ministry of Railways.
2. Make suggestions regarding policies of Ministry of Railways for infrastructure creation through private investments/PPP and to ensure reasonable safeguards to PPP investors.
3. Dispute resolution regarding future Concession Agreements subject to a specific clause in the Concession Agreement for referring of such disputes to RDA in compliance with the Arbitration and Conciliation Act, 1996 and Amendments thereto including the Arbitration and Conciliation Act, 2015;.
4. Any other function which is incidental or consequential to the abovementioned functions or such other functions regarding (1) to (3) above as specifically assigned by Central Government.

(iii) **Setting efficiency and performance standard:** RDA can define standards of performance and efficiency; such standards would be notified as rules under the Railway Act to give a binding force upon acceptance. RDA in this regard will lay down standards for efficiency and performance for

consumer satisfaction in both passenger and freight. RDA will also be authorized to check for deviations and suggest remedial measures. RDA will undertake any other function which is incidental or consequential to the mentioned function or such other functions as specifically assigned by Central Government. **It shall also be the Authority's mandate to suggest measures for absorbing new technologies for achieving desired efficiency and performance standards.**

(iv) **Dissemination of Information** - The Authority will suggest a framework / guidelines for dissemination of information relating to best practices for the assistance and awareness of consumers. In this regard, the Authority will perform the following functions:

1. Act as a data repository. It will collect the data from Ministry of Railways and other operators and voluntarily disseminate the same periodically;
2. Disseminate information on global best practices, benchmarking and standards leading to greater consumer awareness ;
3. Recommend the process or method for dissemination of information based on global standards, global best practices and benchmarking;
4. Collect information from all other stakeholders including the concessionaires/ rail operators pertaining to their projects and share the same with general public ; and
5. Any other function which is incidental or consequential to the abovementioned functions or such other functions regarding (1) to (4) above as specifically assigned by Central Government.

(v) RDA shall have below-mentioned specific exclusions while performing the functions listed at point (i) to (iv) above:-

1. Policy making regarding Railways as a sector or any of its facets;
2. Tariff determination and classification/reclassification of commodities save as provided in Clause (4), Sub-Clause (i) (1) to (3);
3. Operations & Maintenance of the Rail system ;
4. Financial/ expenditure management save and except suggesting benchmarks that can guide decision making;
5. Setting of technical standards;
6. Compliance of safety standards and practices;
7. Such functions which are statutorily provided under any of the statutes for the time being in force.

(vi) Authority may suggest measures for Human Resource Development to achieve any of its stated objectives and functions.

6. **Funding of RDA**: Ministry of Railways would contribute an initial corpus of INR 50, 00, 00, 000 (Fifty Crore Rupees) from its budget to enable RDA to start functioning. RDA can raise funds through adjudication fees in the form of application fees, arbitration fee, penalties etc (which will flow to the Consolidated Fund of India) as may be put in the regulations drafted by RDA. Subsequently

an annual grant would be earmarked for RDA from Budget of Ministry of Railways for its continuance and ensuring financial independence.

7. RDA shall have appropriate powers to discharge its functions effectively. For this purpose, RDA shall provide itself with suitable supporting staff, government officials and experts and will have power to call for records, notes, data or any other material relevant to its official functioning from official and non-official bodies and also hold discussion with them.

8. RDA will have its Headquarter in Delhi and shall submit periodical reports to the Central Government on various aspects relating to the functions prescribed for the RDA and on such other specific matters as may be called for by the Central Government from time to time.

9. **Administrative and other Residuary matters**:

(i) Administrative matters relating to conditions of service of the Chairman and the Members of RDA, with respect to which no express provision has been made, shall be referred in each case to the Central Government for its decision and the decision of the Central Government thereon shall be binding on RDA.

(ii) Administrative matters relating to the operations of RDA and with regard to appointment of the officers and staff other than the Chairman and the Member of the RDA, with respect to which no express provision has been made, shall be decided by the Chairman and the Members with general consensus.

R. K. VERMA, Secy.(Railway Board)

Annexure

TERMS AND CONDITIONS OF APPOINTMENT OF CHAIRMAN AND MEMBERS OF THE INTERIM RAIL DEVELOPMENT AUTHORITY ("RDA")

(A) QUALIFICATIONS OF THE CHAIRMAN

(i) The Chairman of RDA shall be a person having proven ability and integrity and should have special knowledge and professional experience of not less than 25 years in either Rail Industry or Finance or Accountancy or Law or Regulatory Affairs.

(ii) Candidates who are/ have been in Government service, should have held a post of Secretary to Government of India or equivalent post in the Central Government/ State Government with relevant experience.

(iii) The Chairman should be below sixty two (62) years of age.

(B) QUALIFICATIONS OF THE MEMBERS

(a) Member (Tariff)

(i) The Member (Tariff) of RDA shall be a person having proven ability and integrity and should have special knowledge and professional experience of not less than 25 years in rail industry or finance or accountancy or law or regulatory affairs.

(ii) Candidates who are/ have been in Government service, should have held a post of Secretary/ Additional Secretary to Government of India or equivalent post in the Central Government/ State Government with relevant experience preferably in freight and passenger tariff setting/ rating/costing in the rail sector.

(iii) The Member (Tariff) should be below sixty (60) years of age.

(b) Member (PPP)

(i) The Member (PPP) of RDA shall be a person having proven ability and integrity and should have special knowledge and professional experience of not less than 25 years in Railways or industry or finance or accountancy or law or regulatory affairs.

(ii) Candidates who are/ have been in Government service, should have held a post of Secretary/ Additional Secretary to Government of India or equivalent post in the Central Government/ State Government with relevant experience preferably in handling Public Private Partnership issues.

(iii) The Member (PPP) should be below sixty (60) years of age.

(c) Member (Efficiency, Standards & Benchmarking)

(i) The Member (Efficiency, Standards & Benchmarking) of RDA shall be a person having proven ability and integrity and should have special knowledge and professional experience of not less than 25 years in rail industry or finance or accountancy or law or regulatory affairs.

(ii) Candidates who are/ have been in Government service, should have held a post of Secretary/ Additional Secretary to Government of India or equivalent post in the Central Government/ State Government with relevant experience preferably in transport sector.

(iii) The Member (Efficiency, Standards & Benchmarking) should be below sixty (60) years' of age.

(C) TERM OF OFFICE AND REMOVAL OF CHAIRMAN AND MEMBERS:

The Chairman and Members will have a tenure of Five (5) years.

The Chairman/Members may be removed by the Central Government on following grounds:

i. If adjudged insolvent or
ii. Convicted by a court of any offence involving moral turpitude or
iii. Has become physically and mentally incapable of acting as Member or Chairman or
iv. Has acquired such financial or other interest as is likely to affect prejudicially his/ her functioning as Member/Chairman or
v. Has abused his position as to render his/her continuance in office prejudicial to the public interest or
vi. Has been guilty of proven misbehavior or
vii. Has engaged in any other paid employment.

(D) ELIGIBILITY FOR RE-EMPLOYMENT:

Chairman or a Member would not be eligible for re-employment under the Central Government or anybody/ authority substantially financed by the Central Government unless there is a gap of one year after demitting office. Similarly, for one year after demitting office, Chairman or Member would not

be eligible to take up private employment, in the organizations/ conglomerates/ associates that fell within the operational jurisdiction of the RDA. Further, the Chairman or Members will severe all connections from the regulated entities and will also declare particulars of employment and shareholding in regulated entity of the immediate family members i.e. spouse, dependent children or parents.

(E) PAY, ALLOWANCES, TRAVEL, ACCOMMODATION,LEAVE AND MEDICAL FACILITIES:

The Chairman and Members will be entitled to pay, perks, allowances, travel, leave, medical facilities and accommodation as per the extant notifications of Government of India for similar other regulatory bodies like TRAI, CCI etc.

(F) ADMINISTRATIVE AND OTHER RESIDUARY MATTERS

Administrative matters relating to the operations of RDA or the conditions of service of the Chairman and Members, with respect to which no express provisions has been made in these instructions, shall be referred in each case to the Central Government for its decision and the decision of the Central Government thereon shall be binding on RDA.

Uploaded by Dte.of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2017.05.09 15:20:36 +05'30'